

कार्यालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

क्रमांक: स्था./क.लि. बेच-2018/2020/1072-78

दिनांक-13.07.2020

प्रेषक :- जिला कलक्टर

प्रतापगढ़

प्रेषित :-

क्र. स.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	पता मय मो.नं.
1	श्री शिव राज बैरवा पिता श्री ग्यारसी लाल बैरवा	ग्राम-मोहम्मद नगर ढाणी, पोस्ट-बगडवा, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक पिन कोड-30481, मो.नं.-8094977172
2	सुश्री प्रीति सुनारिया पिता श्री राजेश कुमार सुनारिया	रैगरान मोहल्ला, नया शहर, वार्ड नं.-34, किशनगढ़, अजमेर मो.नं.-9024070637
3	सुश्री गीता बैरवा पिता श्री बाबू लाल बैरवा	260, एल.बी.एस. कॉलोनी, वार्ड नं.-13, कोटखावदा मोड़, चाकसू, जयपुर, पिन कोड-303901 मो.नं.-8078633763
4	सुश्री लक्ष्मी पिता प्रेमसिंह	पटपरे के पीछे, तकिया बस्ती, धौलपुर, पिन कोड-328001 मो.नं.-7737923669

विषय :- कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ में आवंटित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन/जाँच के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2) प्र.सु./अनु-3/2020 जयपुर दिनांक 18-06-2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से आपको कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु जिला कलक्टर कार्यालय प्रतापगढ़ आवंटित किया गया है। राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्ति देने से पूर्व परिशिष्ट 'ए' के अनुसार मूल दस्तावेज एवं इनकी सत्य प्रति तथा आपके जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य की जाँच का प्रमाण पत्र सहित दिनांक 17.07.2020 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ में उपस्थित होवे।

आपके द्वारा परिशिष्ट 'ए' में उल्लेखित दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी जाँच के उपरान्त ही नियमानुसार नियुक्ति दिया जाना सम्भव होगा। उक्त निर्धारित दिनांक-17.07.2020 तक उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को आपके दस्तावेज लौटा दिए जाएंगे। आपका दस्तावेज सत्यापन प्रयोजनार्थ कोई यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय देय नहीं होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार परिशिष्ट

-11-
(गोपाललाल स्वर्णकार)

अति.जिला कलक्टर

प्रतापगढ़

दिनांक-13.07.2020

क्रमांक: स्था./क.लि. बेच-2018/2020/1072-78

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. उप निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रतापगढ़ को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने कि व्यवस्था करे।
02. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।
03. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ एस.एम.एस. द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित कराने कि व्यवस्था करें।
04. श्री जितेन्द्र मीणा, कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, प्रतापगढ़।
05. श्री राजीव कुमार गर्ग, उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
06. श्री जगदीश चन्द्र सोमानी, लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
07. श्री महेश चन्द्र त्रिवेदी, अध्यापक, रा.उ.मा.वि. धामलिया।

अति.जिला कलक्टर

प्रतापगढ़